

		<p>अनुसंधान संस्थान और/ अथवा अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में तुलनीय अनुभव</p> <p>अथवा</p> <p>15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव, जिसमें से 8 वर्ष जीपी 7600 में उप कुलसचिव या समकक्ष पद के रूप में हो।</p> <p><u>प्रतिनियुक्ति के लिए</u></p> <p>केंद्र/राज्य सरकारों अथवा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान अथवा विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थान अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के अधिकारी</p> <p>क) समान पद धारण करनेवाले, और/अथवा</p> <p>ख) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव प्राप्त हो।</p>
5	कार्य का विवरण	<p>कुलसचिव निदेशक को रिपोर्ट करेंगे और निदेशक को प्रशासनिक सहायता प्रदान करेंगे। कुलसचिव न्यायालय, परिषद, वित्त समिति, सीनेट, न्यासी मंडल और प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त समितियों के पदेन सचिव होते हैं और निदेशक द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों को भी निभाने के लिए कहा जा सकता है।</p>
6	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आयु	<p>55 वर्ष (प्रतिनियुक्ति के लिए 58 वर्ष)</p>

उच्च शिक्षा संस्थानों से तात्पर्य भारत सरकार द्वारा उसकी ओर से जारी संस्थानों की सूची से है, जो शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसे संस्थानों की अनन्य सूची निम्नानुसार है:-

- क) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान - <https://www.education.gov.in/institutions-national-importance>
- ख) केंद्रीय विश्वविद्यालय - <https://www.education.gov.in/central-universities-0>
- ग) राज्य विश्वविद्यालय - <https://www.education.gov.in/state-universities>
- घ) एमओई द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थान - <https://www.education.gov.in/technical-education-1>

नियम और शर्तें:

1. शारीरिक विकलांगता अर्थात दृष्टिहीनता (बी) अथवा निम्नदृष्टि (एलवी), बधिरता (डी) या श्रवण दोष (एचएच), एक हाथ (ओए) या दोनों हाथ (बीए), दोनों पैर (बीएल) या एक पैर (ओएल) या एक हाथ और एक पैर (ओएएल), मस्तिष्क पक्षाघात (सीपी), कुष्ठ रोग से ठीक हुए (एलसी), बौनापन (डीडबल्यू), आम्ल हमला पीड़ित (एएवी), मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (एमडीवाई) या दोनों पैर और एक हाथ (बीएलओए), विशिष्ट अधिगम अक्षमता (एसएलडी), ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (हल्का) (एएसडी) और बहु-विकलांगता (एमडी) आदि से पीड़ित उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।
2. मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों को संस्थान पर लागू भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
3. उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
4. उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में कोई अनुवर्ती पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। भौतिक रूप से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में भरे गए सभी विवरण अंतिम माने जाएंगे और इसके बाद इसमें कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया के दौरान इन्हें विचाराधीन रखा जाएगा। अपलोड किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट और दृष्टिगोचर होने चाहिए।
6. जिन उम्मीदवारों ने अलग वेतनमान वाले पीएसयू/स्वायत्त निकायों से अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, उन्हें अपने अनुभव पर विचार करने के लिए अनिवार्य रूप से समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. अनुभव(वों) के समर्थन में प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार होने चाहिए। वे नियोक्ता संगठन के पत्रशीर्ष पर जारी करने की तिथि के साथ होने चाहिए।
8. स्नातकोत्तर डिग्री के लिए सीजीपीए/जीपीए प्रणाली के तहत ग्रेड प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय/संस्थान के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त अंकों का सही प्रतिशत प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है, ताकि सीजीपीए/जीपीए को उचित प्रतिशत में परिवर्तित किया जा सके। इसका प्रमाण (विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी पत्र) दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किया जाए।
9. निर्धारित योग्यताएं और अनुभव न्यूनतम आवश्यकताएं हैं और केवल इन योग्यताओं और अनुभव का होना ही उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने का हकदार नहीं बना देता। संस्थान साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यताओं और/या

अनुभव से अधिक योग्यताओं और/या अनुभव वाले उम्मीदवारों की उचित संख्या को सीमित करने का अधिकार रखता है।

10. ऊपर दी गई तालिका में निर्धारित योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों से प्राप्त की होनी चाहिए।

11. इस पद के लिए चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा। तथापि, यदि आवश्यक हो तो, संस्थान लिखित परीक्षा आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

12. सभी उम्मीदवारों को वर्तमान नियोक्ता से (जहां भी लागू हो) एनओसी प्राप्त करना होगा और उसे ऑनलाइन अपलोड करना होगा। हालांकि, बिना एनओसी वाले आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा, यदि उम्मीदवार साक्षात्कार के समय एनओसी प्रस्तुत करने का विधिवत हस्ताक्षरित वचन पत्र अपलोड करता है।

13. प्रतिनियुक्ति के नियम एवं शर्तें डीओपीटी के ज्ञापन संख्या 6/8/2009-ईएसटीटी (पीएवाई-II) दिनांक 17.06.2010 और भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए समेकित दिशानिर्देशों द्वारा शासित होंगे।

14. कुलसचिव को आवास, आवासीय दूरभाष कनेक्शन और मोबाइल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। हालांकि, पानी और बिजली का खर्च वास्तविक लागत के आधार पर वहन करना होगा। परिसर में रहना अनिवार्य है। वह एचआरए के लिए पात्र नहीं हैं और आयकर नियमों के अनुसार पूर्वापेक्षा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

15. आवेदन अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा किए बिना, समय रहते ही जमा कर दिए जाने चाहिए।

16. साक्षात्कार के लिए आमंत्रण पत्र केवल चयनित उम्मीदवारों को ईमेल द्वारा भेजे जाएंगे। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी की जांच करते रहें। जिन आवेदकों का चयन नहीं हुआ है / जिन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है उनसे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

17. संस्थान द्वारा उम्मीदवार की पात्रता और लिखित परीक्षा/साक्षात्कार से संबंधित सभी मामलों में लिया गया निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

18. संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। संस्थान किसी भी प्रशासनिक कारण से किसी भी स्तर पर विज्ञापन/भर्ती को रद्द करने का अधिकार भी रखता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. संस्थान ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। साक्षात्कार के लिए आमंत्रित बाहरी उम्मीदवारों को टिकट प्रस्तुत करने पर

कार्यस्थल/निवास स्थान से बेंगलुरु तक और वापस जाने का रेल किराया (सेकंड एसी) सबसे छोटे मार्ग से दिया जाएगा।

20. सेवा काल के दौरान, प्रत्येक कर्मचारी को योजनाएं, विनियम और उपनियम (एसआरबी), प्रशासनिक नियमावली, अन्य वैधानिक दस्तावेज, सीसीएस (आचरण) नियम और सीसीएस (सीसीए) नियम आदि का पालन, आज्ञापालन और अनुपालन करना होगा।

21. चयनित उम्मीदवार भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ईसीबी एवं पीआर दिनांक 22 दिसंबर 2003 के माध्यम से अधिसूचित नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कवर होंगे। हालांकि, वे उम्मीदवार, जो 31.12.2003 को या उससे पहले केंद्रीय सरकारी सेवा या केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी स्वायत्त निकाय की सेवा में (कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29.08.1984 के पैरा-4 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए) शामिल हुए थे और जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत शासित थे, वे सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित रहेंगे, यदि वे डीपी एवं एआर के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28/10/84-पीयू दिनांक 29.08.1984 के प्रावधानों के अंतर्गत 01.01.2004 को या उसके बाद तकनीकी त्यागपत्र प्रस्तुत करते हैं।

22. सेवा काल के दौरान किसी भी समय उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों या पूर्ववृत्त की जांच करने का अधिकार संस्थान सुरक्षित रखता है। यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज असली नहीं पाए जाते हैं, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी और अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी।

23. परिणाम प्रकाशित करने से पहले आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए विवरणों का विधिवत सत्यापन किया जाएगा। यदि उम्मीदवार अपने द्वारा भरे गए विवरणों का प्रामाणिक प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी।

24. प्रत्येक आवेदन के साथ कुलसचिव के पद की भूमिका और कार्यों के प्रति आवेदक की समझ और संस्थान के लिए उसके योगदान के साथ-साथ इस पद के लिए वह स्वयं को उपयुक्त क्यों मानता है, इसका एक लिखित विवरण होना आवश्यक है।

25. किसी भी रूप में प्रचार करना/राजनीतिक या अन्य किसी भी प्रकार का प्रभाव डालना इस पद के लिए निरर्हता का कारण माना जाएगा।

26. चयन प्रक्रिया से संबंधित कोई भी विवाद बेंगलुरु पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले माननीय न्यायालय/अधिकरण के अधीन होगा।

27. यदि अधिसूचना के अंग्रेजी और अन्य भाषा संस्करणों के बीच व्याख्या के कारण कोई अस्पष्टता/विवाद उत्पन्न होता है, तो अंग्रेजी संस्करण में दिए गए विस्तृत निर्देश अंतिम होंगे।

28. इस विज्ञापन से संबंधित किसी भी शुद्धिपत्र/अनुशेष की स्थिति में, उन्हें केवल संस्थान की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा।
29. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21.03.2026 को रात 11:59 बजे है।
30. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए भर्ती पोर्टल 20.02.2026 से 21.03.2026 तक खुला रहेगा।

इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पोर्टल: <https://iisc.ac.in/careers/> पर जाकर अपनी शैक्षिक योग्यता, आयु, समुदाय, विकलांगता, अनुभव, एनओसी और अन्य किसी भी प्रकार दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र, यदि कोई हो तो, 21.03.2026 को या उससे पहले अपलोड करें।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक: https://recruitment.iisc.ac.in/regular_position/

कुलसचिव